भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 304

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

आयकर विवरणी भरने में कमी

304. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर विवरणी भरने में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत चार वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर विवरणी भरने के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमन)

(क),(ख) तथा (ग): पिछले चार वित्त वर्षों के दौरान दायर की गई आयकर विवरणियों की कुल संख्या (ई-विवरणी तथा मूल में प्रस्तुत पेपर विवरणी, संशोधित अथवा नोटिस के उत्तर में प्रस्तुत विवरणी सहित) निम्नानुसार है:-

दायर की गई आईटीआर की संख्या

वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19
46,304,070	55,804,275	68,707,674	67,331,157

वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दायर आईटीआर की संख्या में यह प्रत्यक्ष कमी वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से लाए गए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139 की उपधारा (5) में संशोधन के कारण थी, जिसने एक वर्ष तक संशोधित विवरणी के दायर करने हेतु उपलब्ध समय सीमा को कम कर दिया था। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, एक संशोधित विवरणी को केवल संगत कर निर्धारण वर्ष के अंत तक अथवा कर निर्धारण के पूरा हो जाने तक, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जा सकता है। फलस्वरूप कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित केवल 0.14 करोड़ आईटीआर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दायर की गई थी क्योंकि ये संगत कर निर्धारण वर्ष के लिए संशोधित आईटीआर थी जिन्हें कानून में परिवर्तन के कारण वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ही दायर किया जा सका। तथापि, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर के अलावा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए लगभग 1.21 करोड़ आईटीआर दायर की गई थी। कर निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा पूर्व कर निर्धारण वर्षों के लिए दायर आईटीआर की शेष संख्या 0.06 करोड़ है।

इस बारे में, यह उल्लेख करना तर्कसंगत है कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वित्त वर्ष 2017-18 में ई-फाइल कर निर्धारण वर्ष 2017-18 की 5.47 करोड़ आईटीआर की तुलना में कर निर्धारण वर्ष 2018-19 की ई-फाइल कुल 6.49 करोड़ आईटीआर हैं जो पूर्व कर निर्धारण वर्ष 2017-18 की तुलना में कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए दायर की गई आईटीआर का लगभग 19% वृद्धि बताता है।

*****